S.No. 5 (+) परिशिष्ट-1

अत्यावश्यक 16

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प. 4(44)देव/2017 जयपुर, दिनांकः 06 फरवरी, 2018

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर

विषयः— देवस्थान विभाग के मन्दिरों हेतु दान नीति, मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति एवं मन्दिरों में कार्यक्रम आयोजन संबंधी नीति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग के मन्दिरों में दान पात्र रखवाये जाने, उसमें दर्शनार्थियों द्वारा दान राशि डाले जाने और उसे खोले जाने की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाये जाने तथा दान राशि के संधारण एवं उपयोग एवं मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास तथा मन्दिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई समग्र नीतियां, सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार संलग्न कर आवश्यक अनुपालना कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं। कृपया इसे देवस्थान विभाग के सभी मन्दिरों में लागू करवा कर अनुपालना की कार्रवाई सुनिश्चित करावें :—

1. देवस्थान विभाग के 'मन्दिरों में दान संबंधी नीति'।
2. देवस्थान विभाग के 'मन्दिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति'।
3. देवस्थान विभाग के 'मन्दिरों में कार्यक्रम आयोजन संबंधी नीति'।

संलग्नः उपरोक्तानुसार तीन नीतियां।

भवदीय,

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—
1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), देवस्थान विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
4. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

16

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

मंदिर/धर्मस्थल निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति

देवस्थान विभाग के अन्तर्गत विद्यमान मंदिरों के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए एक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त की आवश्यकता को देखते हुए निम्नानुसार नीति प्रस्तावित की जाती है --

- किसी भी मंदिर व उसकी भूमि में सामान्यतः निज मंदिर के गर्भ गृह तथा दर्शन मंडप के अतिरिक्त निम्न सार्वजनिक सुविधाएं हो सकती हैं--
  - भजन या अन्य कार्यक्रम हेतु प्रांगण, बरामदा एवं अन्य परिसर
  - धूनी, यज्ञस्थल, चबूतरा, लघु मंदिर आदि
  - प्रवेश द्वार एवं उससे जुडी संरचना
  - रसोई घर (मंदिर में भोग हेतु)
  - सार्वजनिक रसोई घर (कामना पूर्ति या मनौती आदि के लिए गोठ या पारिवारिक/सार्वजनिक भोज का आयोजन हेतु)
  - प्रसाद वितरण व्यवस्था/कैन्टीन/दुकान
  - भण्डार
  - विश्राम गृह/धर्मशाला/सराय
  - पुजारी के लिए निवास स्थल
  - पार्क या उद्यान
  - बावडी/कुंआ
  - पार्किंग स्थल
  - प्याऊ
  - प्रतीक्षालय/दर्शनार्थी शेड

- दर्शनार्थीगण के लिए पब्लिक टॉयलेट
- मुक्तांगन या कार्यक्रम हेतु खुला मंच (एम्फी थियेटर)
- विद्यालय/गुरुकुल
- गौशाला
- पक्षियों के लिए दाना डालने व परिंडे लगाने की जगह
- अप्रयुक्त खाली भूमि या भवन

यहां उल्लेखनीय है कि सामान्य तौर पर मंदिर के समुचित विकास हेतु उक्त सुविधाएं ही आवश्यक या वांछनीय सुविधा मानी जाती हैं और इनका ही आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय प्राथमिकतावार क्रमशः विकास किया जाना चाहिए। इन सभी के निर्माण में स्थानीय शिल्प और पत्थर के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। जहां ईंट, सीमेन्ट से निर्माण हो, वहां भी बाह्य स्वरूप पत्थर का ही रखा जाना चाहिए।

इनके निर्माण संबंध में विभिन्न क्षेत्र या वर्गवार निम्न बिन्दु भी ध्यान रखने लायक हैं–

सिविल निर्माण व स्थापत्य–

- विभाग के पास मंदिर की सम्पदा के अन्य अभिलेखों साथ–साथ पूरे परिसर का टोटल स्टेशन सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए। इससे पूर्व सबका एक ले–आउट सहित नजरी नक्शा बनाया जा सकता है।
- जो भी विकास कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, उसका स्वरूप पुजारी, न्यासी, सुपुर्दगार, दानदाता, सामान्य प्रशासनिक अधिकारी, हितधारक आदि को दिखाकर उनकी सम्मति लेना भी वांछनीय होगा। इस संबंध में उनके सुझावों को भी लिखित रूप देते हुए समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

- किसी भी नए निर्माण में यह ध्यान रखा जाए कि स्थान का समुचित प्रयोग किया जा रहा है। शौचालय, प्याऊ आदि को एक किनारे बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए अन्य उपयोगों हेतु स्थान उपलब्ध रहे।
- मंदिर, पूजनस्थल व दर्शनार्थियों के लिए सार्वजनिक सुविधा से जुडी जिन संरचनाओं का उपर उल्लेख किया गया है, मॉडल प्रारूप का संकलन तैयार किया जाना वांछनीय है। इनमें देवस्थान विभाग द्वारा अनेक मंदिरों के लिए पहले से ही विभिन्न कन्सल्टेंट्स के द्वारा डिजाईन्स तैयार कराई गई हैं, जो उनकी डी.पी.आर. में उपलब्ध है। इनमें से अनेक संरचना एवं सुविधाओं के डिजाईन को यथावत मॉडल के रूप में लिया जा सकता है। इसके लिए विभाग के अभियन्ता, वित्त विभाग के अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी परिचर्चा कर एक मॉडल प्रारूप संकलन तैयार करेंगे, ताकि आवश्यकता होने पर कम समय और व्यय में उनका निर्माण किया जा सके।
- मंदिर के शिल्प एवं स्थापत्य में उसके शास्त्रीय अनुपात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस कार्य हेतु ऐसे कार्यों के विशेषज्ञ कंसल्टेंट से ही परामर्श लेना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्वरूप सुरक्षित रहे। इस संबंध में छतरी, महराब, झरोखे, जाली और नक्काशीदार पत्थरों की संरचना का आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान व प्राथमिकता देकर प्रयोग किया जाना चाहिए।
- सीढियां बनाते समय उनकी ढाल और ऊंचाई का समुचित ध्यान रखा जाए। इसमें पत्थरों में उसके बाहरी सिरे को गोल करने के लिए मोल्डिंग का भी प्रावधान किया जाए।

- जहां लोहे के कार्य लिए जाएं, जैसे– ग्रिल, दरवाजे, चौखट, रैलिंग आदि वहां भी डिजाईन आधुनिक की बजाए परम्परागत रखी जाए। दरवाजों को सुरूचिपूर्ण ढंग से डिजाईन करवाया जाए। काम को गति देने के लिए इसकी निविदा अलग से की जा सकती है।
- लकडी के कार्यों में उसे पानी के स्थान एवं दीमक से बचने के समुचित उपाय किए जाएं। इसमें जहां आवश्यक हो, वुड कलर के पेंट या वार्निश की जा सकती है।
- मंदिर में जहां आवश्यक हो वहां शीशे और बहुमूल्य धातुओं के कार्य भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त कर ली जाए।
- पुराने भित्ति–चित्रों या प्लास्टर या फर्श पर जब तक समुचित तकनीकी परामर्श न लिया जाए, उन पर रासायनिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, आवश्यकतानुसार प्राकृतिक पदार्थ जैसे रीठा, शिकाकाई, छाछ, मुल्तानी मिट्टी, राख आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- पत्थर की दीवारों पर कोई पेंट न किया जाए, विशेषतः ऑयल पेंट का उपयोग बिल्कुल न किया जाए।
- जहां प्राचीन भित्ति–चित्र हैं, वहां उनकी विशेष देखभाल की जाए और किसी भी प्रकार के क्षति पहुंचाने वाले कारकों को दूर किया जाए।
- जहां भवन में प्राचीन प्लास्टर है। वहां मुख्यतः 2 तरह के कार्य मिल सकते हैं–
    - **चूना–सुर्खी–बजरी के रूप में प्लास्टर का कार्य–** इसमें मरम्मत के समय यथासंभव चूना तथा महीन बजरी का काम ही किया जाए। इसके लिए चूने को आवश्यक समयावधि जो 15 दिवस से कम न होगी, पानी में भिगोकर रखा जाए तथा उसे प्रतिदिन

अच्छी तरह से पुनः मिलाया जाए। साथ ही उस पर पानी में डूबे रहने हेतु पर्याप्त जल छिडकाव/भराव किया जाए।

- **अराइश का कार्य (कौडियों एवं चूने से चिकने प्लास्टर का कार्य)**– इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 स्तर होते है– सबसे नीचे **दड़**, इसके उपर **कडा** होता है और सबसे उपर **अराइश** का काम किया जाता है। दड एवं कडा का कार्य बजरी एवं चूने में किया जाना चाहिए और अराइश कार्य हेतु चूना, महीन बजरी एवं महीन संगमरमर पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। प्राचीन समय में चूना बनाने की विधि के अनुरूप ही वर्तमान में सफेद सीमेन्ट बनायी जा रही है। आवश्यकतानुसार चूने के स्थान पर सफेद सीमेन्ट का प्रयोग किया जा सकता है।

o पत्थर के कार्यों में मरम्मत पत्थर के कार्यों से ही किया जाए। दीवारों के लिए जहां बहुत आवश्यक हो, वहां सीमेन्ट से प्लास्टर हेतु पूर्वानुमति ले ली जाए। छतों के ऊपरी बाह्य भाग पर सीमेन्ट अथवा टाईल्स के कार्य कराए जा सकते हैं। चारदीवारी को यथासंभव पत्थर से बनाया जाए, जिसमें स्थानीय पत्थर एवं शैली का प्रयोग किया जाए। इन दीवारों पर यथासंभव सीमेन्ट के प्लास्टर न किए जाएं तथा उनके पत्थरों में इनसाईड ग्रुविंग की जाए, ताकि पत्थर का अपना स्वरूप और सौंदर्य दिखता रहे। चारदीवारी के साथ–साथ एक भ्रमण पथ बनाया जाना वांछनीय होता है, जिससे उसमें उनकी बेहतर देखभाल होती रहे। चारदीवारी की दीवारों में कुछ अन्तराल देकर शिलापट्ट भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें मंदिर या तीर्थस्थल से संबंधित सारभूत बातें लिखी जा सकती हैं। इस प्रकार वह एक लाईव पैनोरमा का रूप ले सकता है। लिखी जाने वाली बातों के लिए

समुचित अध्ययन एवं परिचर्चा के उपरान्त उसे सहायक आयुक्त द्वारा अनुमोदित करा लिया जाए।

- मंदिर या उससे जुडे नवीन कार्यों में पुरातन स्थापत्य या उसकी शैली को ध्यान में रखा जाए। जनसुविधा के लिए बनने वाले निर्माण कार्यों जैसे शेड, टॉयलेट, प्याऊ, पार्किंग, बेंचेज, सिंहद्वार हेतु भी वाह्य स्वरूप पत्थर का और पुरातन स्थापत्य या उसकी शैली में डिजाइन किया जाए। शेड बनाते समय उसके खम्भों के साथ बेंच के रूप में चबूतरे भी बनाए जा सकते हैं।
- किसी विश्रामस्थल में यथाआवश्यक केन्टीन की आवश्यकता पडती है, इसी प्रकार मंदिर परिसर में भी प्रसाद या सोवेनियर शॉप की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए विभागीय किराया नीति की पालना करते हुए समुचित प्रस्ताव बनाए जाएं।
- पुरातात्विक महत्व के मंदिरों हेतु किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व विशेष अनुमति ली जाए। ऐसे मंदिर जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के पुरातात्विक स्थलों के रूप में चिन्हित हैं, वहां उनका भी सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- मंदिर में यथासंभव प्रवेश एवं निकास हेतु अलग–अलग द्वार या मार्गों की व्यवस्था रखी जाए। यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो तो समय के साथ बढने वाली भीड को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन तथा नगरीय निकाय/पंचायतीराज के सहयोग से ऐसे विकल्प सुझाए जाएं।
- मूल मंदिर में फर्श या दीवार पर सिरेमिक/विट्रिफाइड टाईल्स का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। जहां बहुत आवश्यक हो, वहां इस हेतु पूर्वानुमति ले ली जाए।

- फर्श के लिए पत्थरों का ही प्रयोग किया जाए। पत्थरों का प्रयोग करते समय उनकी एकरूपता और डिजाइनिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें पत्थरों का अर्श लगाए जाते समय किनारों पर अलग रंग के पत्थर की बार्डर लाईन तथा बीच में आवश्यकतानुसार दो रंग के पत्थरों के पतंगी पैटर्न या अन्य जडाऊ डिजाईन वाले पैटर्न अपनाए जा सकते हैं। फर्श से जुडने वाली दीवार के निचले भाग में न्यूनतम 6 ईंच की पत्थर की डेडो या स्कर्टिंग की जाए।
- बाहरी भागों के लिए भी इंटरलॉकिग सीमेन्टेड टाईल्स की बजाए कोबल्स या घास युक्त अंतराल वाले पत्थर लगाए जाएं।
- मंदिर परिसर में जहां भी जलापूर्ति से संबंधित कार्य हो, वहां ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जाए। प्लंबिग के कार्य में जहां छत पर रखी टंकी का पानी नीचे आना है, वहां प्लंबिग करते समय नीचे और उपर आवश्यक चेक वॉल लगवाए जाएं तथा उन्हें नीचे लाते समय क्रमशः चौडे पाईप से पतले पाईप की ओर आते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार भवन की छत पर जल जमाव न हो, इस हेतु नालियों की समुचित सफाई व मरम्मत की व्यवस्था की जाए। छत पर रखी टंकी ऐसे स्थान पर रखी जाए कि वह सामने से देखने पर सहज दृश्य न हो, ताकि उससे मंदिर परिसर के भवनों के सौन्दर्य बोध पर प्रभाव न पडे।
- जल निकासी के साथ जलसंरक्षण का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए रूफवॉटर हार्वेस्टिंग तथा सॉक–पिट के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था रखी जाए।
- मंदिर में जहां भी पात्रों का प्रयोग हो, उसमें प्लास्टिक की बजाए धातु के पात्रों का ही प्रयोग किया जाए।

- भवन की दीवार पर यदि कोई वृक्ष उगता है, तो उसे समय रहते हटा दिया जाए, ताकि उनके कारण भवन ध्वस्त न हो। इसके लिए उचित तकनीकी परामर्श लेकर हर्बीसाइड या वीडीसाइड का उपयोग किया जाना चाहिये। पौधों को कलम कर अन्यत्र लगाया जा सकता है।
- दीवारों पर व्यक्तिगत विज्ञापन या नाम वाले कैलेंडर या सूचना पट्ट न लगाए जाएं। उनके साथ मंदिर की मूल स्थापना से बाद के लगाए गए फोटो भी बहुत आवश्यक हों, तभी लगाए जाएं।
- मंदिर परिसर में सुंदर सुरूचिपूर्ण रूप में दर्शन का समय अंकित किया जाना चाहिए। इसके लिए कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटिंग युक्त मेटेलिक या एक्रेलिक बोर्ड प्रयुक्त किए जा सकते हैं।
- देवस्थान विभाग के मंदिरों हेतु कार्यक्रम आयोजन संबंधी नीति के अनुरूप कार्य; दान, कार्यक्रम आयोजन संबंधी सूचना भी लगाई जानी चाहिए।

विद्युत् व विद्युत् उपकरण संबंधी कार्य–

- बिजली के लिए तार बेतरतीब रूप में या झूलते हुए न रहें, वे केवल अंडरग्राउन्ड या किनारे से होते हुए सुरूचिपूर्ण ढंग से लगाए ज़ाएं।
- जब भी मंदिर में सिविल कार्य हो रहे हों, वहां तारों को गुजरने के लिए पहले से खांचे या कन्ड्यूटिंग का कार्य कर लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पुनः तोड–फोड करने की आवश्यकता न हो।
- मंदिर में आवश्यकतानुसार तडित चालक की व्यवस्था की जा सकती है।
- मंदिर में आवश्यकतानुसार बिजली बचत करने वाले अथवा कम खपत वाले उर्जा दक्ष उपकरण ही लगाए जाएं। लाइटिंग में भी केवल

एलईडी लाईटिंग की व्यवस्था की जाए। पुराने कन्डेन्सेंट बल्ब, हेलोजन, ट्यूब लाईट, सीएफएल न लगाए जाएं। एलईडी लाईटिंग के बल्ब ई–मित्र पर भी उपलब्ध हों, जहां से उन्हें क्रय किया जा सकता है। हीटर का प्रयोग सर्वथा वर्जित होगा। मंदिर परिसर में कहीं भी एसी लगाए जाने पर निरीक्षक/सहायक आयुक्त की सहमति आवश्यक होगी। यदि मंदिर परिसर में पुजारी, सेवागीर, चौकीदार आदि का निवास स्थान बना हुआ है तो उसका कनेक्शन अलग रखा जाए। किसी भी मंदिर में प्रतिमाह 3 हजार रूपये से अधिक का बिल आने पर देवस्थान निरीक्षक द्वारा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया जाए, कहीं वहां अनावश्यक रूप से विद्युत का उपयोग तो नहीं हो रहा। निरीक्षण के उपरांत उनके द्वारा आवश्यक संशोधन सहित सुझाव की रिपोर्ट सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जाए।

- मंदिर में यथासंभव स्वयं का पब्लिक एड्रेस सिस्टम (माईक, साउंड बॉक्स, म्यूजिक प्लेयर आदि) रखा जाए और उनका समय–समय पर धार्मिक कार्यक्रमों में मर्यादित व समुचित प्रयोग किया जाए। परंतु इसमें ध्वनि का स्तर बहुत अधिक न रखा जाए और इस संबंध में विशेषतः रात्रि के समय में प्रयोग में माननीय न्यायालय के निर्णयों की पालना का ध्यान रखा जाए।
- सुरक्षा की दृष्टि से कतिपय मंदिरों में सीसीटीवी का प्रयोग किया जा सकता है। ऑनलाईन दर्शन हेतु भी सुविधा विकसित की जा सकती है। किसी कार्यक्रम के समय समुचित सूचना हेतु एलईडी डिस्पले या टीवी का भी प्रयोग किया जा सकता है।

वृक्षारोपण, उद्यानिकी, प्रकृति संरक्षण–

- मंदिर परिसर को यथा संभव प्रकृति अनुकूलित होना चाहिए। इस हेतु पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए।
- मंदिर परिसर में बडे गमलों में पौधे लगाए जाए। मंदिर परिसर में वृक्षारोपण करते समय विशेषतः धार्मिक/सांस्कृतिक रूप से पवित्र माने गए वृक्षों, मंदिर के देवता के अनुरूप वृक्षों, पुष्प वृक्षों तथा फलदार वृक्षों को लगाने की वरीयता दी जाए। उदाहरणार्थ – धार्मिक/सांस्कृतिक आधार पर केला, नारियल, सुदर्शन, चम्पा, हरसिंगार आदि को वरीयता दी जा सकती है, ऐसे ही संप्रदाय विशेष के अनुसार वैष्णव मंदिरों में तुलसी तथा शिव मंदिरों में थोडी संख्या में आक–धतूरा, बील लगाए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। बाह्य उद्यान में कोई भी फल फूल के वृक्ष लगाये जा सकते हैं, किन्तु मंदिर प्रांगण में केवल लघु आकार के पौधे ही वांछनीय होंगे। भवन की छत पर जल जमाव न हो, इस हेतु नालियों की समुचित सफाई व मरम्मत की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें लॉन में समुचित घास भी लगायी जाए। लॉन की लेंडस्केपिंग केवल चौकोर या समतल न होकर कन्टूर आधारित या अन्य डिजाईन में भी हो सकती है।
- वृक्षारोपण में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए स्थान होने पर स्मृतिवन का भी विचार किया जा सकता है, जिसके लिए दानदाताओं से निर्धारित राशि ली जा सकती है। स्थान की उपलब्धता अनुसार वहां नर्सरी भी बनाई जा सकती है, जहां से पर्व विशेष पर जनसामान्य को निर्धारित सहयोग राशि लेकर पौधे वितरित किए जा सकते हैं।
- प्रकृति संरक्षण के साथ पशु–पक्षी को संरक्षण देना भी वांछनीय होगा। इस हेतु पक्षियों के लिए दाना डालने व परिंडे लगाने की जगह का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि दानदाताओं के सहयोग से

गौशालाओं का संवर्धन हो सकता है, तो उसमें भी उचित प्रेरक की भूमिका निभाई जानी चाहिए।

- पर्यावरण अनुकूल प्रविधि के लिए मंदिर में चढाने से बची या निकली जैविक सामग्री को जैसे – फूल–माला, पत्र आदि को कम्पोस्ट बनाने की व्यवस्था रखी जाए। इस जैविक खाद का उपयोग मंदिर के उद्यान या नर्सरी हेतु किया जाए। अधिक होने पर इसे विक्रय या विपणन की भी व्यवस्था की जा सकती है।

मंदिर के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए ये एक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। समय और स्थान के अनुसार नवीन प्रौद्योगिकी या प्रवृति का उपयोग भी सुझाया जा सकता है। इस नीति में मंदिर के अतिरिक्त उससे जुडे परिसर एवं तीर्थस्थल के संरक्षण एवं विकास के कतिपय बिन्दु भी समाहित हैं। इसमें उक्त के अतिरिक्त **अपना धाम, अपना नाम, अपना काम** योजना तथा टेम्पल टाउन की आदर्श परिकल्पना के बिन्दु भी यथानुसार समाहित किए जा सकते हैं।

विकास हेतु जन सहयोग व सुझाव प्राप्त करने संबंधी कार्य–

- मंदिर में विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों की सूची भी वहां प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि जन सामान्य स्वयं वैसे कार्यों के लिए अपना योगदान दे सकें। यदि मंदिर का कोई मास्टर प्लान बना हुआ है, तो उसमें कराए जाने वाले कार्यों की सूची विभाग की वेबसाईट एवं मंदिर परिसर में भी लगाई जानी चाहिए।
- विकास हेतु जनसहयोग व सुझाव प्राप्त करने के लिए सक्षम एवं सक्रिय सेवाभावी जन को मंदिरों से जोड़ा जाना वांछनीय होगा। इसमें दानदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, जन प्रतिनिधियों, समाज सेवकों एवं धर्म–अध्यात्म से जुड़े

लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। इसमें निरीक्षक अथवा पुजारी स्वयं के स्तर पर समिति भी गठित करने में समर्थ होंगे, जिनमें निरीक्षक अथवा पुजारी स्वयं सदस्य हो सकते है। समिति दान या जन सहयोग प्राप्त करने हेतु अन्य प्रकिया सुझा सकेगी, परंतु वह व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत ही कर सकेगी। दान की प्रेरणा हेतु दान नीति की समुचित पालना होनी चाहिए। ऐसी समिति मंदिर में राजस्व बढाने के अतिरिक्त अपव्यय या लीकेज रोकने के भी सुझाव दे सकेगी। समिति विकास एवं प्रबंधन के लिए प्रस्ताव देते या योजना बनाते समय भविष्य को देखते हुए दूरगामी नीति सुझाएगी तथा जनसुविधा का विशेष ध्यान रखेगी।

- प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 07.12.2009 को आदेश पारित कर राज्य के ग्रामीण अचलों में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों के प्रबन्धन एवं उचित व्यवस्था करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रत्येक तहसील पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय स्थाई समिति का गठन किया गया है। यद्यपि यह समिति देवस्थान विभाग के अन्तर्गत अधिसूचित मंदिरों के लिए नहीं है किन्तु आवश्यकतानुसार उनसे भी परामर्श लिया जा सकता है।

- मंदिर में नियमानुसार विधि विधान के साथ पूजन अर्चन का कार्यक्रम नियमित रूप से होना चाहिए। पूजन में परम्परा के साथ पवित्रता और धर्मिक भावना का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त मंदिर में होने वाले धार्मिक/आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम नीति की भी यथावश्यक पालना होनी चाहिए।